



भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केरोसूसं. 01/2024 के पारा 5.0 और 5.2 के लिए शुद्धिपत्र

जिन उम्मीदवारों की आयु, निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गई हो तथा कोविड महामारी के कारण भारतीय रेलवे के भर्ती परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उन उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय रोजगार सूचना सं. 01/2024 के अंतर्गत सहायक लोको पायलट पद की भर्ती के लिए अधिसूचित निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए तीन साल की छूट देने का निश्चय किया गया है।

तदनुसार विस्तृत के.रो.सू.सं. के पारा 5.0 एवं 5.2 को संशोधित किया जाता है जो निम्नलिखित है:

5.0 आयु सीमा (01.07.2024 तक) 18-33 वर्ष

5.2 उम्मीदवारों की **जन्म तिथि** नीचे दी गई अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा की तिथियों के बीच होनी चाहिए (सीमा में दोनों तिथियां शामिल हैं)

आयु वर्ग (वर्ष में)	जन्म तिथि की अधिकतम सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्म तिथि की न्यूनतम सीमा (बाद में नहीं)
	अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	सभी उम्मीदवारों के लिए
18-33	02.07.1991	02.07.1988	02.07.1986	01.07.2006

- यदि कोई उम्मीदवार आयु में एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त के लिए पात्र है तो उस उम्मीदवार को सभी छूट से जो छूट सबसे अधिक हो वह दी जाएगी। (असंचयी)
- अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को किसी प्रकार की आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।
- भूतपूर्व सैनिकों को उपरोक्त पारा 5.1 के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

केन्द्रीय रोजगार सूचना सं.01/2024 में दिए गए अन्य सभी नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

नोट: आयु में छूट प्राप्त उम्मीदवार दिनांक 31.01.2024 से 12.00 बजे से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

दिनांक: 29.01.2024

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड

दलालों और नौकरी का रैकेट चलाने वालों से सावधान